न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 51/2022
GCMS NO. : 2022/105

–:: वादीगण :–

1. जसोदा पत्नी नेमाराम जाति– प्रजापत, निवासी– जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला– पाली, राज0।
2. मनमोहन कंवर पत्नी भैरूसिंह खिड़िया जाति– चारण, निवासी– खराड़ी, तहसील– जैतारण, जिला– पाली, राज0।

बनाम

–:: प्रतिवादीगण :–

1. अनिल कुमार पुत्र भंवरलाल
2. गिरिश पुत्र भंवरलाल
3. नरेश पुत्र भंवरलाल
4. राजेश पुत्र भंवरलाल
5. उमेश कुमार पुत्र सोहनलाल
6. कुशलराज पुत्र सोहनलाल
7. चेतन कुमार पुत्र सोहनलाल
8. नोरतमल पुत्र सोहनलाल
9. विद्या देवी पत्नी सोहनलाल
10. चम्पालाल पुत्र प्रतापराम
11. हरिश कुमार पुत्र प्रतापराम जातियान– कुम्हार(प्रजापत) निवासीगण– जैतारण, जिला– पाली, राज0।
12. बुधाराम पुत्र कानाराम
13. मीठालाल पुत्र कानाराम
14. श्यामलाल पुत्र कानाराम फौत के का0मु0
    14/1. सुरेश पुत्र श्यामलाल
    14/2. दिनेश पुत्र श्यामलाल
    14/3. इन्द्रा देवी पत्नी श्यामलाल
    14/4. पूजा पुत्री श्यामलाल
    14/5. आरती पुत्री श्यामलाल
15. लाबु पुत्र मोती फौत के का0मु0
    15/1. श्याम भाटी पुत्र लाबुराम
    15/2. [illegible] भाटी पुत्र लाबुराम
    15/3 राजूराम [illegible] पुत्र लाबुराम फौत के का0मु0
    15/3/1. जितेन्द्र पुत्र राजूराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:39:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

15/3/2. शेरूराम पुत्र राजूराम
15/3/3. चन्द्रा देवी पत्नी राजूराम
15/3/4. डिम्पल पुत्री राजूराम
15/3/5. सरोज पुत्री राजूराम
16. प्रेम पत्नी पुखराज
जातियान– माली निवासीगण– जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला– पाली रा0।
17. रमजान अली पुत्र न्यामतअली
जाति– मुसलमान निवासी– जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0।
18. तहसीलदार जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0।

<u>राजस्व वाद बाबत् तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u> <u>तारीख रजू:. 04.04.2022</u>

उपस्थितः–

1. श्री महेन्द्र सिंह बाहरठ, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री शरीन नाजिक, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 21/07/2022**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि राजस्व मौजा जैतारण पटवार हल्का जैतारण भू अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र जैतारण तहसील– जैतारण जिला– पाली (राजस्थान) में स्थित खसरा नम्बर 315 रकबा 14.9086 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम की आई है जिसमें वादी संख्या 01 का 1/144 वा हिस्सा व दी संख्या 02 का 1/144 वा हिस्सा आता है, शेष भूमि प्रतिवादीगण की है उसी माफिक मौके पर काबिज होकर काश्त कार्य करते चले आ रहे है। वर्तमान राजस्व रेकर्ड चौसाला जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति इस वादपत्र के साथ पेश है तथा उपर वर्णित खसरा नम्बर की भूमि को वादपत्र में आगे सुविधा की दृष्टि से विवादित भूमि के नाम से जाना जायेगा। वादी संख्या 01 जसोदा अपने 1/144 वे हिस्से व वादी संख्या 02 मनमोहन कंवर अपने 1/144 वे हिस्से की भूमि जो खसरा नम्बर 315 के पूर्व [illegible] खसरा नम्बर 316 के चिपते ही स्थित है। जिस पर वादी [illegible] संख्या 01 व 02 शान्ति पूर्वक काबिज होकर काश्त कार्य [illegible] तथा वादी संख्या 01 व 02 क राजस्व रेकर्ड में अलग अलग किया जाना [illegible]श्यक है। जिससे दोनो वादीगण अपने कृषि भूमि की तारबन्दी, नेखबन्दी करवा सके तथा अपनी भूमि को ओर ज्याद

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:39:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

उपजाउ बना सकते है। वादपत्र में वर्णित विवादित भूमि पक्षकारों के बीच संयुक्त व सामलाती है तथा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के कोई बंटवाड़ा नही हो रखा है तथा मौके पर नाप चौप व माठे भी बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के नाप चौप करते हुये नही की गई है इस वजह से प्रतिवादीगण के बीच भूमि के नाप चौप व बंटवाड़े को लेकर कई बार विवाद भी होता है। जबकि वादीगण अपने हक हिस्से की भूमि पर देशी खाद काली मिट्टी डलवाकर और अधिक उपजाउ बनाना चाहते है, साथ ही सुरक्षा के प्रयोजनार्थ लोहे की जाली व तारबन्दी भी करवाना चाहते है परन्तु इस भूमि के नाप चौप व बंटवाड़े को लेकर विवाद होता है। इस वजह से वादपत्र में वर्णित खसरा नम्बर की विवादित भूमि का वादीगण बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाना चाहते है तथा मौके पर भी पेमाईश करवाना चाह रहे है, लेकिन प्रतिवादीगण उसमें सहमत नही है तथा प्रतिवादीगण विशिष्ट भू भाग को अपना होना बताकर उस पर अपना स्थाई कब्जा करने पर आमादा है। जबकि वादीगण बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के इस विवादित भूमि का बंटवाड़ा चाहते है। जिसमें प्रतिवादीगण सहमत नहीं होने से तथा बंटवाड़ा करवाने व उसमें सहमति देने से इंकार कर देने पर वादीगण के पास यह वादपत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह वादपत्र बाबत विवादित भूमि के बंटवाड़ा हेतु सादर पेश है। विवादित भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच संयुक्त व शामलाती राजस्व रिकॅर्ड में दर्ज है जिसका वादीगण माफिक हिस्से अनुसार अपनी उक्त विवादित भूमि का बंटवाड़ा भी बाई मिंटस एण्ड बाउण्डस के करवाना चाह रहे है लेकिन प्रतिवादीगण उसमें सहमत नहीं हो रहे है साथ ही विशिष्ट भू भाग से वादीगण को बेकाबिज करते हुये अपना कब्जा करने पर आमादा है। इस प्रकार से यदि प्रतिवादीगण का उक्त दुष्कृत्य करने में सफल हो जाते है एवं यदि उक्त प्रतिवादीगण इस वादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा किये बिना ही इस भूमि के विशिष्ट भू भाग को अपना होना बताकर कब्जा कर लेते है तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं है। साथ ही वादीगण इस विवादित भूमि के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के ऐसे अवैधानिक कृत्यों का विरोध करेगा। जिससे विवाद बढेगा एवं मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिर्डिगस होगी, तब ऐसी विषम परिस्थितियों में वादीगण के पास अदालत श्रीमान के समक्ष यह वादपत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से वादपत्र बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। प्रतिवादी संख्या 20 भूमिधारी राजस्थान सरकारी के प्रतिनिधि हैं जिनके विरुद्ध वादपत्र पेश करने से पूर्व दो माह का वैधानिक नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन वादीगण का यह वादपत्र अत्यंत ही आवश्यक प्रकृति का है दो माह की अवधि पूर्व होने तक प्रतिवादीगण वादीगण को इस भूमि से पूर्णतया बेदखल कर देगें, तब ऐसी परिस्थितियों में नोटिस देना डिसपेंन्स विथ कर यह वादपत्र पेश किया जा रहा है। जिसके बाबत् धारा 80 (2) [illegible] का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश किया गया है। बिनाय वाद दिनांक [illegible] को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण से इस विवादित भूमि पर जबरदस्ती बेदखल कर [illegible] कब्जा करने की ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम जैतारण तहसील- जैतारण जिला- पाली में पैदा हुआ जो अंदर म्याद एवं अदालत श्रीमान के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:39:11 IST
Reason: SelfAttested

... अधिकारी एवं
... सहायक कलक्टर,
..., जिला-पाली

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन्नस् वास्ते किये गयें। प्रतिवादीगण सं. 1 से 13, 14/1 से 14/5, 15/1 से 15/2, 15/3/1 से 15/3/5 व 16 को बार बार आवाजें दिलाई गई, बावजूद सम्मनस् सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहनें से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादीगण सं. 17 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया, जो कि शामिल मिसल है, प्रतिवादी संख्या 17 ने काउण्टर क्लेम मय जवाब पेश कर स्वयं के खरीदसुदा हिस्से का भी बाई मिटस एण्ड बाउण्डस् के बंटवाड़ा करवाने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 17 ने जवाब दावा में कथन किया है कि वादपत्र के फिकरा संख्या 1 सही होने से स्वीकार है। इसके अलावा इसी खसरा नम्बर 315 रकबा 92 बीघा 2 बिस्वा बारानी दोयम में से खातेदार रामदेव सोनी से उसका 1/84 हिस्सा प्रतिवादी रमजान अली ने जरिये वैचान रजिस्ट्री के दिनांक 05.03.2018 को खरीद कर लिया था। तब से प्रतिवादी रमजान अली अपनी खरीदसुदा भूमि पर काबिज है व काश्तकार है। वैचान रजिस्ट्री की फोटोप्रति संलग्न है। वादपत्र के फिकरा संख्या 2 सही होने से स्वीकार है। वादपत्र के फिकरा संख्या 3 का जवाब यह है कि वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि सभी पक्षकारों की संयुक्त व शामलाती है, मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाई बाउण्ड्स के बंटवांड़ा नहीं हो रखा है तथा मौके पर नाप चोप व मातें भी बाई मिट्स एण्ड बाई बाउण्ड्स के लिखत में नहीं की गई है। मौके पर जरुर पक्षकार अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है व प्रतिवादी संख्या 19 भी अपनी खरीदसुदा भूमि पर काबिज है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 19 भी अपनी खरीदसुदा भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाई बाउण्ड्स के बंटवाड़ा करवाना चाहता है, जिसका अलग से नजरी नक्शा बनाकर पेश किया जा रहा है जिसे जवाबदावें का एक भाग माना जावें। वादपत्र के फिकरा संख्या 4 लाईल्मी होने से अस्वीकार है, जबकि प्रतिवादी संख्या 19 स्वयं अपनी खरीदसुदा भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाई बाउण्ड्स के बंटवाड़ा करने को तैयार है। प्रतिवादी संख्या 19 की खरीदसुदा भूमि में कोई भी पक्षकार हस्तक्षेप व दखलन्दाजी नहीं करे, न ही कोई बाधा, अर्चन ही पैदा करें। ऐसा आदेश जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के जारी करावें। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की सुनी गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद–पत्र मय शपथ–पत्र, दस्तावेजात एवं जवाब दावा, काउण्टर क्लेम का गहनता से अध्ययन किया गया। वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी राजस्व मौजा जैतारण पटवार हल्का जैतारण भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र जैतारण के खसरा नम्बर 315 रकबा 14.9086 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् बंटवाड़ा कर तरमीम करने का अनुतोष चाहा गया है। वादग्रस्त आराजी की जमाबन्दी राजस्व मौजा जैतारण पटवार हल्का जैतारण भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र जैतारण सम्वत् 2073–2076 का अवलोकन किया गया। जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण बरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं खातेदार काश्तकार दर्ज है, खसरा नम्बर 315 रकबा 14.9086 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 17 के हक–हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:39:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि कि राजस्व मौजा जैतारण पटवार हल्का जैतारण भू अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र जैतारण तहसील– जैतारण जिला– पाली (राजस्थान) में खसरा नम्बर 315 रकबा 14.9086 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम भूमि जो राजस्व रेकर्ड में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बॉउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग–अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी/नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2021/1112 दिनांक 08.12.2021 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/22/2362 दिनांक 13/04/2022 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील उभयपक्ष ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते है।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती अविभाजित पैतृक पुश्तैनी कब्जे काश्त की कृषि भूमि राजस्व मौजा जैतारण पटवार हल्का जैतारण भू अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र जैतारण तहसील– जैतारण जिला– पाली (राजस्थान) के खसरा नम्बर 315 रकबा 14.9086 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैंः–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1.	जशोदा पत्नी नेमाराम कौम प्रजापत सा. देह खातेदार	315/4	0.1035	बा. दो.	0.03
2.	मनमोहन कंवर पत्नी भैरूसिंह कौम चारण सा. देह खातेदार	315/3	0.1035	बा. दो.	0.03
3.	रमजान अली पुत्र न्यामतअली कौम मुसलमान सा. देह खातेदार	315/2	0.1774	बा. दो.	0.06

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:39:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

4.	अनिल कुमार पुत्र भंवरलाल हि. 2485/145242, उमेशकुमार पुत्र सोहनलाल हि. 2130/145242, कुशलराज पुत्र सोहनलाल हि. 2130/145242, गिरीश पुत्र भंवरलाल हि. 2485/145242, गोमती पत्नी भंवरलाल हि. 2485/145242, चेतनकुमार पुत्र सोहनलाल हि. 2130/145242, चम्पालाल पुत्र प्रतापराम हि. 12423/145242, नरेश पुत्र भंवरलाल हि. 2485/145242, नोरतमल पुत्र सोहनलाल हि. 2130/145242, राजेश पुत्र भवरलाल हि. 2485/145242, विद्यादेवी पत्नी सोहनलाल हि. 2130/145242, हरीशकुमार पुत्र प्रतापराम हि. 12424/145242, कौम कुम्हार(प्रजापति), सा0 देह खातेदार, प्रेम पत्नी पुखराज 24847/145242, बुधाराम पुत्र कानाराम 6212/145242, मीठालाल पुत्र कानाराम हि. 6212/145242, लाबु पुत्र मोती हि. 49696/145242, श्यामलाल पुत्र कानाराम हि. 4141/145242, सोवनी पत्नी काना 6212/145242	315	14.5242	बा. दो.	4.50

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 21/07/2022को सर-ए-इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:39:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

डिक्री बमुकदमें हब्सदाई
(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण
बईजलास :– डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

–:: वादीगण :– **बनाम** **–:: प्रतिवादीगण :–**

वादीगण

1. जसोदा पत्नी नेमाराम जाति– प्रजापत, निवासी– जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला– पाली, राज0।
2. मनमोहन कंवर पत्नी भैरूसिंह खिड़िया जाति– चारण, निवासी– खराड़ी, तहसील– जैतारण, जिला– पाली, राज0।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. अनिल कुमार पुत्र भंवरलाल
2. गिरिश पुत्र भंवरलाल
3. नरेश पुत्र भंवरलाल
4. राजेश पुत्र भंवरलाल
5. उमेश कुमार पुत्र सोहनलाल
6. कुशलराज पुत्र सोहनलाल
7. चेतन कुमार पुत्र सोहनलाल
8. नोरतमल पुत्र सोहनलाल
9. विद्या देवी पत्नी सोहनलाल
10. चम्पालाल पुत्र प्रतापराम
11. हरिश कुमार पुत्र प्रतापराम जातियान– कुम्हार(प्रजापत) निवासीगण– जैतारण, जिला– पाली, राज0।
12. बुधाराम पुत्र कानाराम
13. मीठालाल पुत्र कानाराम
14. श्यामलाल पुत्र कानाराम फौत के का0मु0
    - 14/1. सुरेश पुत्र श्यामलाल
    - 14/2. दिनेश पुत्र श्यामलाल
    - 14/3. इन्द्रा देवी पत्नी श्यामलाल
    - 14/4. पूजा पुत्री श्यामलाल
    - 14/5. आरती पुत्री श्यामलाल
15. लाबु पुत्र मोती फौत के का0मु0
    - 15/1. श्याम भाटी पुत्र लाबुराम
    - 15/2. बद्री भाटी पुत्र लाबुराम
    - 15/3 राजूराम भाटी पुत्र लाबुराम [illegible] के का0मु0
        - 15/3/1. जितेन्द्र पुत्र राजूराम
        - 15/3/2. शेरूराम पुत्र राजूराम
        - 15/3/3. चन्द्रा देवी पत्नी राजूराम
        - 15/3/4. डिम्पल पुत्री राजूराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:39:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,

15/3/5. सरोज पुत्री राजूराम
16. प्रेम पत्नी पुखराज
जातियान– माली निवासीगण– जैतारण,
तहसील– जैतारण, जिला– पाली रा०।
17. रमजान अली पुत्र न्यामतअली
जाति– मुसलमान निवासी– जैतारण,
तहसील– जैतारण, जिला– पाली
राज०।
18. तहसीलदार जैतारण, तहसील–
जैतारण, जिला– पाली राज०।

मु०न० :रा०वा० स०:– 51/2022

<u>राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु ....–........ हाजरी श्री महेन्द्र सिंह बाहरठ, अधिवक्ता, वादीगण। मिनजानिब मुद्धई तथा श्रीमती शरीन नाजिक, अधिवक्ता प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती अविभाजित पैतृक पुश्तैनी कब्जे काश्त की कृषि भूमि राजस्व मौजा जैतारण पटवार हल्का जैतारण भू अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र जैतारण तहसील– जैतारण जिला– पाली (राजस्थान) के खसरा नम्बर 315 रकबा 14.9086 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रुप से किया जाता हैः–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1.	जशोदा पत्नी नेमाराम कौम प्रजापत सा. देह खातेदार.	315/4	0.1035	बा. दो.	0.03
2.	मनमोहन कंवर पत्नी भैरूसिंह कौम चारण सा. देह खातेदार	315/3	0.1035	बा.दो.	0.03
3.	रमजान अली पुत्र न्यामतअली कौम मुसलमान सा. देह खातेदार	315/2	0.1774	बा. दो.	0.06
4.	अनिल कुमार पुत्र भंवरलाल हि. 2485/145242, उमेशकुमार पुत्र सोहनलाल हि. 2130/145242, कुशलराज पुत्र सोहनलाल हि. 2130/145242, गिरीश पुत्र भंवरलाल हि. 2485/145242, गोमती पत्नी भंवरलाल हि. 2485/145242, चेतनकुमार पुत्र सोहनलाल हि. 2130/145242, चम्पालाल पुत्र प्रतापराम हि. 12423/145242, नरेश पुत्र भंवरलाल हि. 2485/145242, नोरतमल पुत्र सोहनलाल हि. 2130/145242, राजेश	315	14.5242	बा. दो.	4.50

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:39:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
[illegible]रण, जिला-पाली

	पुत्र भवरलाल हि. 2485/145242, विद्यादेवी पत्नी सोहनलाल हि. 2130/145242, हरीशकुमार पुत्र प्रतापराम हि. 12424/145242, कौम कुम्हार(प्रजापति), सा0 देह खातेदार, प्रेम पत्नी पुखराज 24847/145242, बुधाराम पुत्र कानाराम 6212/145242, मीठालाल पुत्र कानाराम हि. 6212/145242, लाबु पुत्र मोती हि. 49696/145242, श्यामलाल पुत्र कानाराम हि. 4141/145242, सोवनी पत्नी काना 6212/145242				

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज.....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 21/07/2022 को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला पाली)

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर जैतारण, जिला पाली)

मुद्धई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04-00	स्टाम्प वकालतनामा	05-00
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	01-00	महनताना वकील	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	2-00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा		मुत्फरिक	
मिजानः–	07-00	मिजानः–	05-00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:39:11 IST
Reason: SelfAttested